फैक्स/स्पीड पोस्ट — संख्या- 6/एफ1-303/2014 श्र०सं०- 94

बिहार सरकार,

आवंटनादेश — श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सैयद परवेज आलम
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर/बक्सर/मुंगेर/मधुवनी/वैशाली (हाजीपुर)/
पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/भागलपुर ।

पटना, दिनांकः- 23.2.15

विषयः- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड-P-2230011090101)के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1463 दिनांक-26.05.14 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत बीड़ी श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की भरपाई के लिए अनुदान की राशि प्रति आवास ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र की दर से **सहायक वेतनादि के अलावा इकाई (31-06)** में कुल 749 बीड़ी श्रमिकों (सूची संलग्न) के गृह निर्माण हेतु 31 मार्च 2015 तक व्यय के निमित निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी का नाम	बीड़ी श्रमिको की संख्या	**सहायक वेतनादि के अलावा 3106 में कुल आवंटित राशि प्रति आवास 4000/- की दर से**
1	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	327	327X4000 = 1308000
2	जिला पदाधिकारी, बक्सर	122	122X4000 = 488000
3	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	112	112X4000 = 448000
4	जिला पदाधिकार, मधुवनी	72	72X4000 = 288000
5	जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	59	59X4000 = 236000
6	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	39	39X4000 = 156000
7	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	18	18X4000 = 72000
	कुल योग	**749**	**749X4000 = 2996000**

कुल आवंटित राशि ₹ 2996000/- (₹ उनतीस लाख छियानवे हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि०(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि०दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।
6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-04) द्वारा किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

23/2/15
(सैयद परवेज आलम)
श्रमायुक्त, बिहार ।
23/2/15

ज्ञापांक-6/एफ1-303/2014 श्र०सं०- 94 पटना, दिनांक 23.2.15

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सैयद परवेज आलम)
श्रमायुक्त, बिहार
23/2/15

ज्ञापांक-6/एफ1-303/2014 श्र०सं०- 94 पटना, दिनांक 23.2.15

प्रतिलिपिः- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त (प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय) एवं प्रशाखा-04 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-26 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-18.02.15 के आलोक में एवं प्रशाखा-06 श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सैयद परवेज आलम)
श्रमायुक्त, बिहार ।
23/2/15